न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, किशनगढ़, जिला अजमेर।

दीवानी वाद सं. 54/2021(29/2010) सी.आई.एस. नं. 516/2014

घीसालाल बनाम श्री मुनी सुव्रत नाथ दिगम्बर जैन

दिनांक 10.02.2026

वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित।

इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रकरण में वादीगण की ओर से साक्ष्य पूर्ण होकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में लंबित है। प्रकरण में आदेश 18 नियम 4 CPC एवं आदेश 20 नियम 61 व 64 सामान्य नियम (सिविल) 2018 के अधिन प्रतिवादी सं. 1 की साक्ष्य प्रथमतया लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 5 कैलाश चन्द की साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादीगण ने विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2005, 09.11.2005 व हक त्याग विलेख दिनांक 22.12.2004 को निरस्त करने का वाद न्यायालय में पेश किया है, जिसे प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे निष्पादित व पंजीकृत करवाया गया है। प्रतिवादी सं. 1 को साक्ष्य क्रमानुसार लेखबद्ध करना आवश्यक है। अतः प्रतिवादी सं. 1 को साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने का आदेश दिए जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी सं. 1 की ओर से **लिखित जवाब** प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रावधान इस प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष पर लागू नहीं होते हैं। विवादित संपत्ति प्रतिवादी सं. 2 मूलचंद के स्वामित्व की थी, जिसे प्रतिवादी सं. 1 को जरिए विक्रय पत्र दिनांक 09.11.2005 को, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 5 के स्वामित्व की संपत्ति, जिसे वादी ने वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाया

है, जिसे दिनांक 09.11.2005 को प्रतिवादी सं. 1 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र के विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया। उक्त विक्रय पत्र के जरिए प्रतिवादी सं. 2 व 5 ने प्रतिवादी सं. 1 उत्तरदाता को विक्रय किया है, जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 2 व 5 पर है। उत्तरदाता प्रतिवादी सं. 1 क्रेता है, जिसका प्रतिवादी सं. 2 व 5 ने अपने जवाब दावा में विरोध नहीं किया है। उत्तरदाता प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाब दावे में स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 2 ता 5 की ओर से गवाह कैलाश चंद की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पर वादी की ओर से प्रतिपरीक्षा पूर्ण होने के बाद प्रतिवादी सं. 1 को वादी के वादपत्र के खण्डन में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है। प्रतिवादी सं. 5 ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र नियमानुसार प्रस्तुत किया है। प्रार्थना की मद सं. 5 में वर्णित विलेख दिनांक 03.08.2005 का विवादित संपत्ति का स्वामित्व प्रतिवादी सं. 2 को तथा विलेख दिनांक 22.12.2004 में वर्णित संपत्ति का स्वामित्व प्रतिवादी सं. 4 को साबित करना है, जो विक्रय विलेख दिनांक 09.11.2005 को प्रभाव में थे, जिस पर विश्वास कर प्रतिवादी सं. 1 ने अलग–अलग विक्रय पत्र से दिनांक 09.11.2005 को किया है। इसलिए प्रतिवादी सं. 2 ता 5 की साक्ष्य प्रतिवादी सं. 1 से पूर्व लिया जाकर प्रतिपरीक्षा कराया जाना न्यायसंगत है। प्रतिवादी सं. 2 ता 6 एक यूनिट है तथा प्रतिवादी सं. 1 एक यूनिट है, जो अपने आप में स्वतंत्र व अलग–अलग है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रतिवादी सं. 2 ता 6 से पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कतई बाध्य नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जाखर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। वादी की ओर से जरिए प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 5 कैलाशचंद की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र का इस आधार पर विरोध किया गया है कि प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 की साक्ष्य प्रथमतया लेखबद्ध करना

आवश्यक है। इस संबंध में पत्रावली व विधिक प्रावधानों का आवलेकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी द्वारा हस्तगत वाद विवादित संपत्ति में स्वामित्व की घोषणा, कब्जा प्राप्ति, स्थाई निषेधाज्ञा, विक्रय पत्र दिनांक 10.11.2005, हकत्याग विलेख दिनांक 27.12.2009, विक्रय प्रलेख दिनांक 03.08.2005 को निरस्तीकरण हेतु पेश किया गया है। वादी का अपने वादपत्र की चरण सं. 8 में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 ने कपटपूर्वक सम्पत्ति को हड़प करने की नियत से जो कि वादी के वैध स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति है, पहले प्रश्नगत अचल सम्पत्ति एवं पी. से दर्शित हवेली को अपने पूर्वजों की जायदाद मिथ्या रूप होना बताते हुए एवं स्वयं को जायदाद में सहस्वामी होना बताते हुए प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 ने प्रतिवादी सं. 5 के हक में दिनांक 27.12.2004 को समर्पण विलेख पंजीबद्ध करवा कर सम्पूर्ण सम्पत्ति का मालिक प्रतिवादी सं. 5 को बना दिया और प्रतिवादी सं. 5 ने वाद पत्र की चरण सं. 1 में सीमांकित अचल सम्पत्ति दिनांक 10.11.2005 को प्रतिवादी सं. 1 को अवैध रूप से विक्रय कर दी व उक्त अभिवचनों के आधार पर ही वांछित अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी सं. 1 विक्रय विलेख का क्रेता के रूप में पक्षकार कायम किया गया है। उक्त विक्रय पत्र का निरस्तीकरण विवादित संपत्ति के स्वामित्व पर आधारित है, जिसे वादी व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 द्वारा उसकी संपत्ति को कपटपूर्वक हड़पने का कथन किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5, प्रतिवादी सं. 1 की जो कि क्रेता है, की साक्ष्य से पूर्व विवादित संपत्ति में स्वामित्व संबंधी मूल प्रश्न का अवधारण प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 की साक्ष्य पर आधारित है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 की साक्ष्य प्रतिवादी सं. 1 से पूर्व पेश किया जाना न्यायोचित है। जहां तक वादीगण का यह कथन है कि आदेश 18 नियम नियम 4 CPC एवं आदेश 20 नियम 61 व 64 सामान्य नियम सिविल एवं दाण्डिक, 2018 के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के गवाह की साक्ष्य पहले

लेखबद्ध की जानी चाहिए तो इस संबंध में उक्त विधिक प्रावधानों में ऐसा कोई क्रम अभिनिर्धारित नहीं किया गया है कि कौनसे प्रतिवादी की साक्ष्य पहले लेखबद्ध की जानी है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादियों का क्रम वादपत्र में वादी ने स्वयं अंकित कर निर्धारित किया है। केवल मात्र क्रम अंकित करने से पहले प्रतिवादी सं. 1 क्रेता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं हो जाता है, जबकि वादीगण का स्वामित्व संबंधी मूल विवाद प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 से है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त विवेचनानुसार वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होने अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत गवाह कैलाशचंद का साक्ष्य शपथ पत्र पत्रावली में प्रस्तुत हो चुका है। अतः आयन्दा गवाह के उपस्थित आने पर आवश्यक रूप से जिरह की जावे। उपस्थित गवाह से जिरह नहीं किए जाने पर जिरह का अवसर बंद समझा जावेगा। प्रकरण न्यायालय के लक्षित प्रकरणों में से एक है, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी सं. 2 से 5 में दिनांक 13.02.2026 को पेश हो।

GANPAT SINGH SOLANKI

Steno Gr. II
"Authenticated Document"
Digitally signed by GANPAT SINGH SOLANKI
Date: 2026.02.10 16:55:12 +0530